आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

12/01/2024

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -31/2008-09

हराधन मंडल **बनाम** लखीरानी मिर्धा।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-09/2006-07 में दिनांक–12.11.2006 एवं 14.11.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-09/2006-07 में दिनांक–12.11.2006 एवं 14.11.2006 को पारित आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी, नाला के भू बंदोबस्ती वाद सं0–09/2006–07 के आलोक में श्रीमती लखीरानी मिर्धा, पति–सफल मिर्धा, साकिन–सांगाजोड़ी, पंचायत–पंजुनिया, थाना–नाला, खाता सं0–37, दाग सं0–385/A में कुल 1.00 एकड़ जमीन के प्रस्ताव के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 28 के तहत अंचल अधिकारी नाला के अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त जमीन की बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी।

अपीलकर्त्ता के विद्व अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा–सांगाजोड़ी, सरदारी सार्किल–कुलडंगाल, थाना–नाला, अनुमंडल एवं जिला–जामताड़ा के दाग सं0–385, किस्म–पुरातन पतित रकवा–1024 डी0 है। अपीलकर्त्ता के दादा हरिपद मंडल एवं गौर मंडल द्वारा उक्त मौजा–सांगाजोड़ी के दाग सं0–385 के अंश रकवा का 539 डी0 का बंदोबस्ती प्राप्ति के पश्चात अंचल अधिकारी का कार्यालय नाला में पंजी-II वर्ष 1964-65 में अभिलेखित है। प्रश्नगत जमीन के बंदोबस्ती के पश्चात अपीलकर्त्ता के दादाजी द्वारा जमीन का घेराबंदी किया गया एवं उक्त जमीन को उनके जमाबंदी के साथ मिला लिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा उक्त जमीन पर खेत एवं वृक्ष लगाया गया, जिस पर करीब 150 बड़े पेड़ है। उक्त खेत पर अपीलकर्त्ता द्वारा धान एवं अन्य फसल उपजाया जाता है। उनके परिवार के बहुत बड़ा है एवं उनके जीविका का आधार खेती है।

उत्तरवादी के विद्व अधिवक्ता अनुपस्थित।

अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश एवं अन्य कागजातों का छायाप्रति दाखिल किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल नहीं किया गया। उक्त छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी लखीरानी मिर्धा को दिया गया बंदोबस्ती अंचल अधिकारी नाला के अनुशंसा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जामताड़ा तथा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा दिया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा कोई सत्यापित प्रतिलिपि या मूल कागजात का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि लखीरानी मिर्धा को बंदोबस्ती देने के पूर्व अपीलकर्त्ता हराधन मंडल के दादा को बंदोबस्ती दिया गया हो।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-09/2006-07 में दिनांक–12.11.2006 एवं 14.11.2006 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.02.14 13:16:21 +05:30
Location: 192.168.43.106

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।